न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 179 / 22 निर्णय दिनांकः–
(जीसीएमएस संख्या 2022 / 364)

1. अमीर खॉ पुत्र रशीद खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 6 आरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. किशनी पत्नी बुलीदान सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 आरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. खानु सिंह पुत्र बुलीदान सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 आरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3. रूकमण पुत्री बुलीदान सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 आरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4. राधा पुत्री बुलीदान सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 आरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
5. रामसिंह पुत्री बुलीदान सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 आरएम तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12–10–2022
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 5
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 12—10—2022 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की भूमि चक 6 आर एम के मुरब्बा नम्बर 177/14 की खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त मुरब्बा नम्बर 177/14 के किला नम्बर 1 ता 11, 12, 13, 19, 20 तादादी 15 बीघा भूमि अपीलांट् की व किला नम्बर 14, 15, 16 एवं 25 तादादी 4 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि है तथा किला नम्बर 17, 18, 22 ता 24 तादादी 5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज भूमि रही है। अदालत मातहत द्वारा उक्त 5 बीघा भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को किया गया है। जबकि उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट् की बनती है। उक्त तथ्य की ताईद इस आधार पर होती है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 16—02—2017 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट् व के सह खातेदार/रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की वरियता कायम की गई। जिसके अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त मुरब्बें में अपीलांट् के धारण की भूमि रेस्पोडेन्ट्स के धारण की भूमि से अधिक निहित है। लिहाजा स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि—धारकों को नोटिस व सुनवाई का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को नियमानुसार नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन को सीलबीड के माध्यम से आवंटन किया जाता व राज्य सरकार को आर्थिक फायदा पहुॅचता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक तरफ तो अपीलांट् के अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार को भी आर्थिक नुकसान पहुॅचाया गया है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 6 आरएम के मुरब्बा नम्बर 177/14 के किला नम्बर 17, 18, 22 ता 24 तादादी 5 बीघा भूमि के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के मुरब्बें में निहित होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु कभी भी अपना आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। स्माल पेच आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। चूंकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् का कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार नहीं था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु अन्य कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को आराजी जैर का आवंटन विधि सम्मत तरीके से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—10—2022 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16—11—2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 6 आरएम के मुरब्बा नम्बर 177/14 के किला नम्बर 17, 18, 22 ता 24 तादादी 5 बीघा भूमि का स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट्स के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कोई नोटिस जारी किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जॉच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बें में 15 बीघा भूमि अपीलांट् की भूमि निहित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की 4 बीघा भूमि निहित है। परन्तु संबंधित पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु तैयार की गई रिपोर्ट में अपीलांट् को धापु के साथ सहखातेदार बताते हुए रिपोर्ट अंकित की गई है। इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 में मुरब्बा नम्बर 177/14 के किला नम्बर 1 ता 13, 19 व 20 का तन्हा खातेदार अमीरखॉ पुत्र रसीदखॉ को बताया गया है। ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलांट् को सह खातेदार अंकित किया जाना व अपीलांट के धारण की भूमि का उल्लेख नहीं किया गया ना ही अपीलांट् को कोई नोटिस ही जारी किया गया है।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन प्रथम वरियता के आधार पर अनुशंसा की गई है। जबकि अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 के नियम 14 के तहत स्माल पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बें में निहित अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।

(5) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचंना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–2022 उपखण्ड अधिकारी, बज्जू निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/2/23

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर